ISSN NO.2395-0692
IJAHMS International Journal of Arts, Humanities and Management Studies

मनरेगा योजना से रोजगार सृजन एवं सामाजिक प्रभावः बिहार के संदर्भ में अध्ययन

डॉ0 कुमार अम्रेश*& डॉ0 राजीव रंजन**

स्नाकोत्तर अर्थशास्त्र, पटना विश्वविद्यालय, पटना, (मधुबनी बिहार)
** *स्नाकोत्तर अर्थशास्त्र, ल0ना0म0 विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा*

परिचय

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 में यूपीए सरकार ने इस अधिनियम कौ पारित किया। इसे 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन आर ई जी एस) का संचालन हो रहा है। देश में लगभग 70 फीसदी आबादी गांवों में रहती है। ग्रामीणों का पलायन रोकने और उन्हैं गांव में ही रोजगार मुहैया कराने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। केन्द्र सरकार ने इस दिशा में दो कदम आगे बाढ़ने के लिए कार्यक्रम के तहत सरकार की ओर से ऐसे प्रावधान बनाए गए कि यदि किसी भी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता देना सरकार की जिम्मेदारी होगी। इसी जिम्मेदारी की उपज है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी नरेगा। इस योजना को भारत सरकार ने 2 अक्टूबर, 2009 को इसका पुनः नामकरण करके महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया है। लेकिन गांव में लोग नरेगा ही कहते है। हालांकि पूर्ववर्ती सरकारों की ओर से भी ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा चुके हैं। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY)–25 सितम्बर, 2001 को शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न सुरक्षा के साथ–साथ रोजगार के अवसर बढ़ने ने के लिए स्थायी सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण करना है योजना का लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर महिलाओं, अनुसूचि जाति, अनुसूचित जनजाति व खतरनाक व्यवसायों से हटाए गए बच्चों के अभिभावकों को विशेष सुरक्षा प्रदान करना है। पूर्व से चल रही रोजगार आश्वासन योजना तथा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को 1 अप्रैल 2002 से सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में समेकित किया गया है। वर्ष 2005 में राष्ट्रीय काम क बदले अनाज योजना कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया। तथा वर्ष 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का संचालन किया गया।

मनरेगा को बिहार और भारत में व्यापक रूप से व्याप्त ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के समाधन के लिए तैयार किया गया है। बिहार में इस समस्या की मौजूदगी का कारण ग्रामीण क्षेत्राों में असमान भूमि वितरण है जिसके चलते कृषि श्रमिकों और सीमांत किसानों को जीविका के लिए अतिरिक्त रोजगार की जरूरत पड़ती है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य अकुशल मजदूरों को 100 दिनों का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध कराना है। साथ ही, यह योजना ग्रामीण समाज के लाभ के लिहाज से सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए भी विकसित की गई है। इससे आपदाजनित प्रवास में कमी आने आने की आशा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका बहुगुणक प्रभाव होगा।

बिहार में वर्ष 2013–14 तक कुल 131.87 लाख परिवारों को जॉबकार्ड जारी किए गए हैं और 15.6 प्रतिशत कार्ड धरियों को इस वर्ष में रोजगार मिले। वर्ष 2013–14 में रोजगार पाने वाले कार्ड धरियों में 6.0 प्रतिशत परिवारों को ही 100 दिनों का रोजगार मिला जबकि 2012–13 में यह आंकड़ा 6.3 प्रतिशत था। वर्ष 2012–13 और 2013–14 में 80 प्रतिशत से अधिक धनराशि का उपयोग हुआ जो विगत वर्षों के आंकड़ों से बहुत अधिक है। वर्ष 2013–14 में कुल 862.21 लाख व्यक्ति–दिवस रोजगार सृजित हुआ जबकि 2012–13

ISSN NO.2395-0692
IJAHMS International Journal of Arts, Humanities and Management Studies

में यह आंकड़ा 965.42 लाख व्यक्ति–दिवस था। इस कार्यक्रम के तहत मजदूरी के भुगतान के लिए वर्ष 2013–14 तक 110.98 लाख बैंक तथा डाकघर खाते खोले गए हैं। मनरेगा के प्रदर्शन में विभिन्न जिलों के बीच काफी अंतर देखा जा सकता है। वर्ष 2013–14 में सर्वाधिक 6.5 लाख जॉबकार्ड मुजफ्फरपुर में जारी किए गए थे और उसके बाद 6.23 लाख पूर्व चंपारण में और 5.98 लाख गया में। एक लाख से कम जॉबकार्ड छोटे जिलों – शिवहर (0.87) लाख, शेखपुरा (0.96 लाख) और अरवल (0.96 लाख) में जारी किए गए थे। जॉबकार्ड पाने वाले परिवारों में अनुसूचित जाति के परिवारों का हिस्सा 33.5 प्रतिशत था। रोजगार मांगने वाले परिवारों का प्रतिशत सबसे अधिक गया में था (66.0 प्रतिशत) और उसके बाद समस्तीपुर में (49.5 प्रतिशत)। इस श्रेणी में किशनगंज जिला सबसे पीछे (12.5 प्रतिशत) था।

रोजगार मांगने वालों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के मामले म औरंगाबाद (9.5 प्रतिशत) पहले स्थान पर रहा और उसके बाद नालंदा (9.5 प्रतिशत) और मधेपुरा (9.4 प्रतिशत)। वर्ष 2013–14 में मनरेगा में महिलाओं की सर्वाधिक भागीदारी शिवहर (63.3 प्रतिशत), बेगूसराय (56.9 प्रतिशत) और सहरसा (47.2) प्रतिशत में हुई जिनम से प्रत्येक में 40 प्रतिशत से अधिक महिलाओं की भागीदारी दर्ज हुई। वहीं, 20 प्रतिशत से भी कम महिलाओं की भागीदारी बक्सर (18.5 प्रतिशत), रोहतास (19.6 प्रतिशत) और कैमूर 19.5 प्रतिशत में हुई। वर्ष 2013–14 में सृजित कुल रोजगार के मामले में जिलों के बीच भारी अंतर है।

इस मामले में सर्वोत्तम जिला गया (73.75 लाख) है और उसके बाद पूर्व चंपारण (40.99 लाख) और पश्चिम चंपारण (39.44 प्रतिशत)। वर्ष 2013–14 में सबसे कम रोजगार सृजन वाले दो जिले मुंगेर (3.74 लाख) और अरवल (4.95 लाख) हैं। मनरेगा के तहत जिलावार वित्तीय प्रगति तालिका में दर्शाई गई है। वर्ष 2013–14 में धनराशि के उपयोग के मामले में सर्वोत्तम जिला भागलपुर (101.5 प्रतिशत) है। जमुई (96.9 प्रतिशत), बांका (95.8 प्रतिशत) और बक्सर (95.8 प्रतिशत) में भी मनरेगा के तहत 95 प्रतिशत से अधिक धनराशि का उपयोग हुआ।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार ग्यारंटी योजना प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिन का न्यूनतम रोजगार एवं ग्रामीण संरचनात्मक विकास के जिस उद्देश्य को लेकर क्रियान्वित की गई वह कहाँ तक अपने उद्देश्य में सफल रही हैं इसकी वास्तविक स्थिति का अध्ययन करने के लिए इंदौर जिले के चार विकासखण्ड के 335 ग्राम पंचायतों के 653 गाँवों से 300 हितग्राहियों का चयन कर साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से प्राथमिक सर्वेक्षण किया गया।

अध्ययन के उद्देश्यः–

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित रखे गये है–

1. मधुबनी जिले में ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन में योजना की भूमिका का अध्ययन करना।
2. योजना में विभिन्न श्रेणी (अ.जा., अ.ज.जा., महिला) के हितग्राहीयों को प्राप्त लाभों का अध्ययन करना।
3. योजना में लाभ के पूर्व एवं पश्चात हितग्राही परिवार की आय स्थिति का अध्ययन करना।
4. हितग्रहियों की (योजना के पूर्व एवं पश्चात) गाँव से शहरों की ओर पलायन की स्थिति को जानना।
5. योजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों का अध्ययन करना।
6. अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर सुझाव देना।

शोध परिकल्पनाः–

प्रस्तुत प्रपत्र के कार्य में शून्य परिकल्पना इस प्रकार ली गई है :–

ISSN NO.2395-0692
IJAHMS International Journal of Arts, Humanities and Management Studies

- योजना ग्रामीण बेरोजगारों के लिए मांग आधारित रोजगार उपलब्ध नहीं कर सकी है।
- योजना से हितग्राहियों की आय में वृद्धि नहीं हुई है।
- योजना से हितग्राही परिवार के जीवन स्तर में सुधार नहीं हुआ है।
- योजना क्रियान्वयन से ग्रामीणों के पलायन में कमी नहीं आयी है।
- हितग्राही योजना से संतुष्ट नहीं है।

शोध प्रविधि–

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु मुख्य रूप से निदर्शन पद्धति का प्रयोग किया गया है। साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से प्राथमिक समंक एकत्रित किए गए है।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत शोध अध्ययन का क्षेत्र मधुबनो जिला है जिसके (ब्लाक) मधुबनी, रहिका, पण्डौल और बेनीपट्टी में यह योजना लागू है। मधुबनी जिले में प्रत्येक ब्लाक से आनुपातिक आधार पर दैव निदर्शन द्वारा इकाइयों का चयन किया गया है।

मनरेगा के तहत पूर हुए कार्यों की श्रेणीवार सूची के अनुसार विश्लेषणः–

मनरेगा योजना के सर्वेक्षित मनरेगा के तहत पूर हुए कार्यों की श्रेणीवार सूची को तालिका क्र. 1 द्वारा दर्शाया गया है

तालिका 1 : मनरेगा के तहत पूर हुए कार्यों की श्रेणीवार सूची

वर्ष / श्रेणी	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
जल संरक्षण	8637 (12.3)	11424 (13.7)	6059 (11.1)	7009 (10.8)	6879 (6.56)
सूखा अवरोधन	6601 (9.4)	6609 (7.9)	5360 (9.8)	16246 (25.1)	29121 (27.78)
सक्ष्म सिंचाई संबंधी कार्य	6552 (9.3)	7368 (8.8)	4605 (8.4)	4335 (6.7)	5618 (5.36)
सिंचाई सुविध का प्रावधन	1489 (2.1)	1841 (2.2)	1902 (3.5)	1813 (2.8)	3210 (3.06)
पारंपरिक जलनिकायों का जीर्णोद्धार	7593 (10.8)	7650 (9.1)	5065 (9.3)	6828 (10.5)	2428 (2.32)

ISSN NO.2395-0692
IJAHMS International Journal of Arts, Humanities and Management Studies

भूमि विकास	2575 (3.7)	4674 (5.6)	3229 (5.9)	4090 (6.3)	7654 (7.30)
बाढ़ नियंत्राण एवं बाढ़ से बचाव	5175 (7.3)	5072 (6.1)	2554 (4.7)	2265 (3.5)	1318 (1.26)
ग्रामीण संपर्क पथ	31869 (45.2)	38955 (46.6)	25521 (46.8)	22056 (34.0)	28631 (27.31)
कोई अन्य गतिविधि	0 (0.0)	0 (0.0)	294 (0.5)	204 (0.3)	
पूरे हुए कुल कार्यों की संख्या	70491 (100.0)	83593 (100.0)	54589 (100.0)	64846 (100.0)	104832 (100)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े पूरा हुए कुल कार्यों में हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं कल्याण–

वर्ष 2001 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों की तुलना करने पर दिखता है कि कृषि कार्यों और गृह उद्योग में लगी श्रमशक्ति के हिस्से में बहुत अंतर नहीं था। हालांकि कृषकों का हिस्सा गिरा है और अन्य श्रमिकों का हिस्सा थोड़ा बढ़ा है। यह कृषि क्षेत्रा से गैर–कृषि क्षेत्रा की ओर श्रमिकों के वांछित स्थानांतरण को अभिव्यक्त करता है। इस सर्वेक्षण में श्रमिकों के क्षेत्रागत वितरण से हटकर बिहार में कार्य सहभागिता दर (WPR) पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

निम्न कार्य सहभागिता दर बिहार की आबादी हमेशा से खास पहचान रही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य में 3.45 करोड़ श्रमिक हैं जो राज्य की कुल आबादी के 33.3 प्रतिशत हैं। उनमें से 2.50 करोड पुरुष हैं और 95 लाख महिलाएं। कार्य सहभागिता दर ग्रामीण बिहार में 34.0 प्रतिशत है जो अपेक्षाकृत कम है। शहरी क्षेत्राों में यह और भी कम – मात्रा 23.2 प्रतिशत है। राज्य महिलाओं की निम्न कार्य सहभागिता दरों की समस्या का भी सामना कर रहा है जिनकी कार्य सहभागिता दर महज 19.1 प्रतिशत है। मुख्य श्रमिकों और सीमांत श्रमिकों के मामले में भी यही स्थिति व्याप्त है।

नरेगा अधिनियम :–

भारत सरकार की महात्वाकांक्षी योजना नरेगा (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) जो वर्तमान समय में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के नाम से जानी जा रही है, दिनांक 25 अगस्त 2005 को एक कानून के रूप में पारित हुआ इस कानून के तहत भारत के जम्मू कश्मीर को छोडकर प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार देने की कानूनी गारंटी देता है भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकार के साथ मिलकर इस योजना का क्रियान्वित करेगा।

मनरेगा के माध्यम से आये सामाजिक परिवर्तन :–

महात्मा गांधी राष्ट्रीय गामीण रोजगार गारंटी योजना क्रियान्वयन से अगर देखा जाये तो समाज के प्रत्येक पहलू पर परिवर्तन देखने को मिलता ह कुछ महात्वपूर्ण परिवर्तनो को हम देखने का प्रयास करेगें। आज मनरेगा के माध्यम से जो समाज/व्यक्तियों सम्बन्धो में परिवर्तन आया है या देखने को मिल रहा है इसमें

ISSN NO.2395-0692
IJAHMS International Journal of Arts, Humanities and Management Studies

व्यक्ति के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के सम्बन्ध समाज में दिखाई दे रहे है यह अलग बात है कि कौन से सम्बन्ध किस स्तर तक हावी हुये है, जिसमें कुछ इस प्रकार विभाजित किया गया है।

स्त्री पुरूष में समानता :–

मनरेगा में सबसे अच्छी बात यह है कि स्त्री पुरूष में किसी भी प्रकार का कोई भेद भाव नही है चाहे वे मजदूरी का हो या फिर उस मजदूरी भुगतान का इस योजना में जो लाभ एक पुरूष को मिलेगा वही लाभ स्त्री को भी दिया जायेगा जिससे हमारे समाज में स्त्रियों का सम्मान ऊचा हुआ और उनका मनोवल भी बढा है।

नकारात्मक प्रभाव :–

जिस प्रकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से व्यक्ति/समाज के सामाजिक सम्बन्धों में सकारात्मक प्रभाव जमाया है वही दूसरी ओर उसका कही न कही नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है जैसे–

1. **मनरेगा के प्रति रूचि में कमी :–**

शासकीय योजना मनरेगा के प्रति लोगों का रूझान कम हो गया है इसकी वजह यह नही कि योजना गलत है परन्तु उस योजना का लाभ व्यक्ति को पूरा न मिलना एक मात्र कारण है जो पहले भी चर्चा की जा चुकी है व्यक्ति जब अपने अधिकारों को जानते हुए उनसे वंचित रहता है तो उसका मन अपने आप उस क्षेत्र से हटने लगता है चाहे वह कोई शासकीय योजना हो या व्यक्ति हो इस तरह की अनेक ऐसी समस्याऐं मनरेगा में आज भी मौजूद है जो व्यक्ति को उससे दूर कर रही है। दैनिक समाचारों के माध्यम से यह देखन को मिलता है कि मनरेगा में क्रियान्वयन में इतनी सावधानी एवं नियम होने के बाद भी लाखों रूपयों का घोटाला फर्जी जॉब कार्ड बनाना और मजदूरो को समय पर मजदरी न मिलना एक दूसरे के नाम पर कार्य करवाना इन सबसे व्यक्ति के मन में अनेक तरह के प्रश्न पैदा करता है और फिर वह अपने आप को इससे दुर समझने लगता ह।

2. **समान मजदूरी:**

मनरेगा में समान मजदूरी भी एक नकारात्मक तरीके से व्यक्ति के मन में प्रभाव पड रहा है क्योकि हमारे भारतीय समाज में पहले से ही कार्य को विभाजित कर दिया गया और उसका मूल्य भी अलग रखा गया है, जिससे व्यक्ति में मन में आज वही धारण बनी हुई है कि जो जैसा कार्य करेगा उसी प्रकार का उसे पैसा मिलना चाहिए, जैसे कोई मकान बनाने वाले मिस्त्री को अन्य मजदूर की अपेक्षा अधिक मजदूरी का भुगतान किया जायेगा, और मिलता भी है लेकिन मनरेगा में ऐसा नहीं है उसे समान रूप से मजदूरी का भुगतान किया जायेगा, इस स्थिति में व्यक्ति सोचने लगता है और इस योजना से अलग कार्य करना चाहता है।

3. मजदूरी भुगतान में देरी :

मनरेगा में मजदूरी का भुगतान में समय लगता है, लेकिन कई ग्रामीण परिवार आज भी ऐसे है जिन्हे अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए प्रति दिन तो नहीं परन्तु सप्ताह में उनको हरहाल में अपनी मजदूरी का पैसा चाहिए तभी उनके उपयोगी कार्य की पूर्ति होगी। मनरेगा में मजदूरी का भुगतान करने के लिए 15 दिन का प्रावधान जरूर है लेकिन कई बार एक माह से भी ज्यादा समय लग जाता है, जिससे आम आदमी को परेशानी का सामना करना पडता है, ऐसी स्थिति में वह अगर किसी गांव के साहूकार व्यक्ति से कर्ज लेता है तो उसको चुकाने के लिये उसे दो विकल्प होते है एक तो उसकी रकम वह ब्याज सहित वापिस करे या फिर उसके यहां मजदूरी करें तब तक जब तक उसका कर्ज नहीं चुक जाता ।

ISSN NO.2395-0692
IJAHMS International Journal of Arts, Humanities and Management Studies

4. **आर्थिक शोषण** :–

सामान्यतः यह देखा जा रहा है कि मनरेगा में ग्रामीण परिवार कार्य करते है और स्थानीय स्तर पर कार्य करते है परिवार का भी हो सकता है समाज का भी हो सकता है समुदाय एवं सार्वजनिक भी हो सकता है ऐसी स्थिति में व्यक्ति से कार्य तो करवा लिया जाता है परन्तु उसके द्वारा किये गये परिश्रम का उचित मूल्य से वह वंचित रह जाता है, कई बार व्यक्ति से स्थानीय दर पर काम कराया जाता है और सरकारी दर का उसका पैसा निकाल लिया जाता है एवं मनरेगा में कार्य करने वाले मजदूरो को वर्ष में 100 दिन की वजह 50 दिन या और भी कम कार्य करने को मिलता है परन्तु उनके खाते से 100 दिनों की मजदूरी का पैसा निकाल लिया जाता है एवं उससे अगूँठा या हस्ताक्षर भी करवाये जाते है लेकिन उससे सामाजिक सम्बन्ध इतने गहरे बना लिये जाते है कि वह जानते हुए भी उसको इन्कार नहीं कर पाता और इसी प्रकार समाज के जो शिक्षित या समाज में ऊचा स्थान रखने वाले लोग उनका शोषण करते रहते है।

सुझाव :–

- मनरेगा में मजदूरी के भुगतान प्रक्रिया को और सरल बनाने की जरूरत है जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अपनी दैनिक उपयोगी वस्तुऐ खरीद सकें । और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके जिससे उसका लगाव मनरेगा के प्रति बढ़गा।
- मनरेगा में एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार एक परिवार में बहुत कम है क्योकि जिस परिवार में पॉच वयस्क सदस्य है उनके हिसाब से एक सदस्य को सिर्फ 20 दिन ही एक वर्ष में रोजगार मिल पायेगा। अतः रोजगार के दिनों की संख्या को और बढ़ेगा।
- इस पूरी योजना में महिलाओं एवं विकलांगो के लिये अलग से कोई आरक्षण प्रकिया नहीं है जिससे महिलाऐ अभी भी इस योजना में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने से पीछे है।
- मनरेगा में ग्रामीण क्षेत्र की जनता को लेकर ए.पी.एल, बी.पी.एल. एवं अन्य कार्ड धारियों को लेकर कही चर्चा या विशेष सुविधा का कही प्रावधान नहीं है जिससे उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती । बी.पी.एल कार्ड धारियों को एवं ए. ए.वाय कार्ड धारियों परिवारों को विशेष रोजगार के अवसर प्रदान करने की जरूरत है।

निष्कर्ष एवं चुनौतिया :

अदृश्य, मौसमी एवं ग्रामीण बेराजगारी दूर करने, गरीबी दूर करने, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने की अद्भत, महात्वाकांक्षी, व्यापक वित्तोय योजना 'मनरेगा' के बिहार के मधुबनी जिले में सकारात्मक प्रभाव हुए हैं, इससे ग्रामीण गरीबों को रोजगार मिलने से उनकी आय, उपभोग एवं जीवन स्तर में वृद्धि हुई साथ ही राजगार की तलाश में गाँवों से शहरों की आर पलायन मे भी कमी आई है। महिलाओं को रोजगार के आवसर मिलने से उनम आत्मनिर्भरता आयी है। जिन हितग्राहियों के पास जीविकोपार्जन का साधन केवल मजदूरी है उनकी मजदूरी आय पहले इतनी नही थी कि वे अपने परिवार का पालन–पोषण सही तरीके से कर सके। याजना में रोजगार के पश्चात न केवल वे दो वक्त की रोटी उपलब्ध करा पा रहे है बल्कि अब वे भोजन की चिंता से हटकर पारिवारिक दायित्व, बच्चो की शिक्षा, भौतिक सुख–सुविधा मनोरंजन के साधन पर भी व्यय करने लगे ह। यहा तक कि कुछ बचत भी करने लगे है। अनसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निर्धन वर्ग को रोजगार द्वारा विकास की धारा में जाड़कर मनरेगा योजना बड़ी मात्रा में सामाजिक एवं वित्तीय अन्तर्वेशन करने में सफल हुई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण राजगार गारंटी योजना में जहाँ ग्रामीणों व गाँव क लिए इतने सकारात्मक प्रभाव हैं वहीं योजना क्रियान्वयन के कुछ छिद्र ऐसे है जो योजना की सफलता में बाधक ह। ग्राम पचायत एवं जिला पंचायत स्तर पर हा रहा भ्रष्टाचार, जरूरतमंद

ISSN NO.2395-0692
IJAHMS International Journal of Arts, Humanities and Management Studies

जॉबकार्ड धारी को राजगार न मिलना, बिना जॉबकार्ड के कार्य, दूसर के जॉबकार्ड पर कार्य, मजदूरी मूल्यांकन में भ्रष्टाचार, कम मजदूरी, मस्टर राल में गलत प्रविष्टि, कार्यों में मशीना का उपयोग, निम्न स्तर के निर्माण कार्य, कार्य स्थल पर सुविधाओं की कमी इत्यादि ऐसे छिद्र हैं जो मनरेगा योजना की सफलता को कम करते हैं। योजना की सबस बड़ी कमी जॉबकार्ड धारियों को रोजगार की मांग करने की जानकारी न होना एवं योजना के प्रति जागरूकता की कमी होना है। हितग्राहियों के अशिक्षित होने के कारण भी योजना में भ्रष्टाचार, फर्जी वाड़ा एवं अनियमितता व्यापक मात्रा में पायी गयी है। कुल जॉबकार्ड धारियों में रोजगार की मांग का पाँचवें हिस्से से भी कम होना, 100 दिन का रोजगार 10 प्रतिशत से भी कम लोगों को मिलना, प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति रोजगार दिवस अत्यन्त कम होना, मजदूरी दर कम होना योजना की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगाती ह। ये ऐसी चनौतियाँ ह जिन्हें निकट भविष्य में दूर करना आवश्यक है। यदि योजना में भ्रष्टाचार खत्म हो जाये तथा योजना को संचालित करने वाले इस ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा से संचालित करे ता यह योजना ग्रामीणा एवं गाँव के विकास में स्वर्णिम सिद्ध हागी।

संदर्भ सूची

i. मिश्र एवं पुरी, भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालया पब्लिशिंग हाउस पृष्ठ क्र. 140 से 142.

ii. बिहार ग्रामीण रोजगार ग्यारंटी योजना 2005–06 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पटना, बिहार।

iii. सुखादों थोरेट प्रो. अर्थशास्त्र जे.एन.यू., दिल्ली. शोध पत्र New Economic policy and impact on employment and poverty of the scheduled castes some observations.

iv. भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2014–15, पृष्ठ क्र. 300, 301।

v. संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट 2014 ।

vi. नई दुनिया समाचार पत्र 19/03/2011, पृष्ठ क्र. 6।

vii. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मार्गदर्शिका 2010।

viii. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005।

ix. दुबे श्यामा चरण – विकास का समाज शास्त्र, वाणी प्रकाशन बर्धमान ऑफसेट दिल्ली ।

x. मुखर्जी रवीन्द्र नाथ – भारतीय समाज व संस्कृति ।

xi. ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार।

www.ijahms.com